## झारखंड उच्च न्यायालय रांची में

## आपराधिक विविध याचिका सं.636/2021

कर्नल राघवेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) उर्फ राघवेंद्र कुमार उर्फ राघवेंद्र कुमार पांडेय , जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष है, पिता स्वर्गीय ऋषिकेश पांडेय, वर्तमान में जी. एम., डी. एम. और जी. एस. ए. यू. आर. सी. (उप क्षेत्र कैंटीन), तारापुर रोड, कैम्प, पुणे, पिन-411001, आर/ओ 11, सस्तानिया, पाम ग्रोव्स सी. एच. एस., बी. टी. कावेडे रोड, सामने एक्सिस बैंक, डाकघर एवं थाना -घोरपदी, पुणे, पिन-411036, महाराष्ट्र, स्थायी पता गाँव-माधो दीदी, डाकघर एवं थाना -लेसलीगंज, जिला-पलामू, झारखंड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. राम सखी देवी, पिता श्री किशोर कुमार पांडेय, निवासी गांव-महतो डिदरी, डाकघर एवं थाना-लेसलीगंज, जिला-पलामू, झारखंड

.....विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता :श्री जे. एस. त्रिपाठी

राज्य के लिए अधिवक्ता : सुश्री स्नेहलिका भगत, अतिरिक्त लोक अभियोजक

.....

**माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी**

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना । हालांकि विपक्ष 2 को वैध रूप से नोटिस दिया गया है लेकिन बार-बार कॉल करने के बावजूद कोई भी विपक्ष 2 की ओर से नहीं जाता है।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए शिकायत का मामला सं. 612/2010, जिसमें दिनांकित 20.03.2015 आदेश भी शामिल है, दायर की गई है, जिसके द्वारा, याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित किया गया है और जो विद्वान जे. एम. एफ. सी., पलामू और विद्वान जे. एम. एफ. सी., पलामू के समक्ष लंबित है, दिनांक 23.02.2011 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड

संहिता. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2001 में रु 20,000/- और वर्ष 2005 में रु 15,000/- शिकायतकर्ता से भूमि बेचने के लिए और एक समझौता किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा सह-अभियुक्त सुरेंद्र नाथ पांडेय को उक्त भूमि बेच दी गई है और वह शिकायतकर्ता को पैसे वापस नहीं कर रहा है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अदालत का ध्यान दिनांकित 23.09.2021 के पूरक हलफनामे के पृष्ठ 6-8 की ओर आकर्षित करते हुए, जो कि विद्वान जे. एम. एफ. सी., पलामू की अदालत में पक्षों द्वारा दायर समझौता याचिका की प्रति है, प्रस्तुत करता है कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पक्षों ने अपने शुभचिंतकों और दोस्तों के हस्तक्षेप से अपने विवाद का निपटारा किया है, और वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और पक्ष करीबी रिश्तेदार हैं और शिकायत का मामला केवल कुछ गलतफहमी और भ्रम के कारण शुरू किया गया है और पक्षों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बहाल किए गए हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षकारों के बीच लेन-देन की शुरुआत के बाद से याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी बेईमान इरादे का कोई आरोप नहीं है और मामले में आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 20.03.2015 के आदेश के माध्यम से, जे. एम. एफ. सी., पलामू ने याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित किया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत कार्यवाही की है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत मामले संख्या 612/2010 के संबंध में 20.03.2015 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द किया जाए और खारिज किया जाए।

5. हालाँकि विद्वान एडिएल पी. पी. शिकायत मामला सं. 612/2010 के संबंध में दिनांकित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करता है लेकिन प्रस्तुत करता है कि उसे पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. बार में की गई दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच समझौता किया गया है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पक्षों के बीच समझौते की प्रति से स्पष्ट है, जिसमें शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर भी हैं, जो पूरक हलफनामे के साथ संलग्न हैं और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि पक्षों के बीच विवाद सिविल स्वरूप का है, इस अदालत का विचार है कि समझौते को देखते हुए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना कम और धूमिल है और पक्षों के बीच समझौते और मामले के उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस मामले को जारी रखना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

तदनुसार, 2021 की पूरी आपराधिक कार्यवाही जिसमें शिकायत मामला संख्या 612/2010 के संबंध में दिनांकित 20.03.2015 का आदेश भी शामिल है, रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है ।

7. इस आपराधिक विविध याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

**(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 21 फरवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|